शाखा सचिवालय बेंगलुरु

शाखा सचिवालय के पास केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की मुकदमेबाजी और सलाह से निपटने में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। एक अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शाखा सचिवालय, बेंगलूरु इसका प्रमुख होता है।

सलाह :

शाखा सचिवालय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी (आंध्र प्रदेश के साथ) राज्यों में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और कार्यालयों को कानूनी सलाह प्रदान करता है। सलाह देने के काम में उच्च न्यायालयों यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु, धारवाड़ और कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ और राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले वादों की जांच, आपत्तियों का बयान, जवाबी हलफनामे शामिल हैं। क्रमशः हैदराबाद में तेलंगाना और अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, बेंगलूरु और हैदराबाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर उत्तर विवरण, लिखित बयान, प्रति शपथ पत्र, प्रति कथन, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और विभिन्न अन्य न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर किए गए संस्करण। 2) एसएलपी, अपील, समीक्षा आदि दायर ककरने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को उनकी कार्रवाई की कानूनी स्थिरता पर मार्गदर्शन करने वाले कानूनों की व्याख्या करना और जब भी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ चर्चा करना।

मुकदमेबाजी :

शाखा सचिवालय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु, धारवाड़ और कालाबुरागी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठों और हैदराबाद में तेलंगाना केंद्र राज्य के लिए उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों की संपूर्ण मुकदमेबाजी की निगरानी करता है। अमरावती,

बेंगलूरु शहर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्थित अधीनस्थ न्यायालय, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (आंध्र प्रदेश के साथ) में कैट। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राज्यों के राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों, केंद्र सरकार में सरकारी मुकदमेवाजी का काम भी देखता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण। इस संबंध में शाखा सचिवालय के कार्य में परामर्शदाताओं की नियुक्ति/नामांकन और उनका वितरण शामिल है कर्नाटक उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, बेंगलूरु, सीएटी, बेंगलूरु और कर्नाटक के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, कर्नाटक राज्य में न्यायाधिकरणों और आयोगों के लिए केंद्र सरकार के वकीलों के बीच मामले।

वकील शुल्क बिल :

यह शाखा सचिवालय स्वयं परामर्श शुल्क बिलों को संशोधित करता है और अपने केंद्रीकृत निधि से सीधे कर्नाटक उच्च न्यायालय (बेंगलूरु बेंच) के लिए भारत के उप सॉलिसिटर जनरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु में केंद्र सरकार वकील को शुल्क का भुगतान करता है। जहां तक धारवाड़ और गुलबर्गा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठों का सवाल है, वकील शुल्क बिल संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाता है, जिसकी ओर से वकील मामलों का संचालन करता है, न कि शाखा सचिवालय, बेंगलूरु द्वारा। संबंधित विभाग कैट, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार के पैनल काउंसिल के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं। इस लिए यह शाखा सचिवालय काउंसिल शुल्क बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। हालाँकि, यह मंत्रालय अनुरोध प्राप्त होने पर बिल मामलों में स्पष्टीकरण देता है।

पुनर्धारण शुल्क :

यह शाखा सचिवालय कर्नाटक राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमों के संचालन के लिए कानूनी मामलों के विभाग द्वारा नियुक्त स्थायी सरकारी वकीलों को रिटेनर-शिप शुल्क का भुगतान करता है।